प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2012 को विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति के दृष्टिगत समस्त संयुक्त विकास आयुक्त एवं मुख्य विकास अधिकारियों के साथ सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये/ निर्देश दिये गये–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–

1. वर्ष 2013–14 की वार्षिक योजना एवं लेबर बजट की तैयारी निर्धारित प्रकिया एवं समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित कर ली जाये।
2. महिलाओं की सहभागिता को बढाते हुये जिन जनपदों में 33 प्रतिशत से कम हो, वे रणनीति बनाकर उसे 33 प्रतिशत तक लाने का प्रयास करें। प्रत्येक कार्य में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी अनुश्रवण करें।
3. कन्वर्जेन्स से सम्बंधित विभागों द्वारा भी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जाय। प्रत्येक कार्य में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी अनुश्रवण करें।
4. प्रत्येक मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह दो दिन भ्रमण कर (पूर्व निर्देशों के अनुरूप) www.mgnregaup.in पर भ्रमण आख्या अपलोड करना सुनिश्चित करें, अनेक जनपदों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है। अगली बैठक में इसका विचलन गम्भीरता से लिया जायेगा।
5. योजना के प्राविधानों के अनुरूप/किसी भी स्तर पर श्रम एवं सामग्री अनुपात 60:40 का उल्लघंन न किया जाये। ऐसे प्रकरण संज्ञान में आने पर उचित कार्यवाही की जाय। मुख्य विकास अधिकारी [redacted]/ग्राम पंचायतवार इसका अनुश्रवण करें। लाईन डिपार्टमेन्ट भी इसका प्रयास करें।
6. योजना आरम्भ से प्रारम्भ कराये गये कार्यो की प्रतिपूर्ति का प्रतिशत एम.आई.एस. पर अपेक्षित रूप से कम है जिसमें वृद्धि करते हुये गत वर्ष तक की सभी परियोजनाओं को पूर्ण करते हुये एम.आई.एस. पर फीड किया जाय। यह कार्य 30 सितम्बर तक पूर्ण किया जाये।
7. जिन जनपदों में श्रमिकों के भुगतान विलम्बित है उन्हें संज्ञान में लेते हुये तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें एवं विलम्ब किस कारण से हुआ इसका परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर कार्यवाही भी सुनिश्चित करायें। दायित्व भी निर्धारित किया जाये। भारत सरकार की वेबसाइट के अलर्ट मुख्य विकास अधिकारी स्वयं देखें व कार्यवाही करें।
8. योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय पर नियन्त्रण करें तथा विगत 3 वर्षो में किये गये व्यय का विवरण भी प्रस्तुत करें। प्रशासनिक व्यय के सम्बंध में शासनदेश सं0–1964/38–7–2010–369 एनआरजीए/2008 दिनांक 26 मई–2010 का अनुपालन सुनिश्चित करें। जो व्यय अनुमन्य नहीं है उन व्यय के लिए मुख्य विकास अधिकारीं जिम्मेदार होंगे।
9. सभी जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्तर पर रोजगार की मांग लम्बित न हो। रोजगार की मांग के रजिस्टर का प्रत्येक सप्ताह खण्ड विकास अधिकारी समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई मांग लम्बित न हो। मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक प्रत्येक 15 दिन में मांग एवं उसके सापेक्ष दिये गये रोजगार की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि कोई मांग लम्बित नहीं है।

1-10-12

10. यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि 100 दिन से अधिक का रोजगार किसी परिवार को न दिया जाये यदि जानबूझ कर ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते है तो सम्बंधित के विरूद्ध उचित कार्यवाही भी की जाय।
11. निर्धारित प्रकिया के अनुसार वर्ष में दो बार सोशल आडिट अवश्य कराया जाए एवं उसकी वीडियोग्राफी कराते हुये वेबसाइट पर अपलोड की जाये। निदेशक सोशल आडिट की तैनाती हो गई है, इनसे भी मार्ग–दर्शन प्राप्त करें।
12. ग्राम पंचायतों की बैठक समय से हो और सभी बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया जाये।
13. भारत सरकार से प्राप्त समस्त शिकायतों का निस्तारण 30 सितम्बर तक सुनिश्चित करते हुये वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। शिकायतों की निस्तारण की प्रकिया के सम्बंध में भारत सरकार से S.O.P. निर्गत किया गया है, उसका अध्ययन कर तद्नुसार कार्यवाही की जाए। इस S.O.P. को भारत सरकार की वेवसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
14. सभी जनपदों द्वारा 30 सितम्बर तक सी0ए0 से आडिट कराकर रिपोर्ट मनरेगा सेल को उपलब्ध करा दी जाये।
15. जनपदों द्वारा जो इनोवेटिव एवं अच्छे कार्य किये गये हैं उसकी रिपोर्ट आगामी बैठक में अधिकारियों द्वारा अवश्य लाई जाए।
16. गाजीपुर में अभी तक एम.आई.एस. फीडिंग क्यों नहीं हुई, इसकी जॉच करायी जाये। मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर इस पर अपना स्पष्टीकरण भी उपलब्ध करायें।
17. अलीगढ़ मण्डल के जनपदों में अलीगढ़ जनपद में महिलाओं की प्रतिभागिता बहुत कम है इसमें सुधार वांछित है।
18. शासन के आदेशों के कम में जनपद स्तर पर स्थापित हेल्पलाईन का प्रचार प्रसार कराया जाये।
19. सिद्धार्थनगर में एम.आई.एस. में बहुत बड़ा अन्तर है। मुख्य विकास अधिकारी स्थिति स्पष्ट करें।
20. महोबा में लघु सिचाई विभाग के विगत वर्ष के मस्टररोल की एम.आई. एस. फीडिंग में त्रुटि हो गयी है जिसे ठीक कराने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा जाय।
21. सभी लाईन विभागों के प्रमुख सचिवों को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास की ओर से पत्र भेजा जाय कि वे उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ करायें , पूर्व के कार्यो को पूर्ण करायें , शिकायतों का निस्तारण करायें एवं सोशल आडिट के समय उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

<u>इन्दिरा आवास योजना–</u>

1. चूंकि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना से सम्बंधित शासनादेश निर्गत कर दिया गया है अतः तत्काल सभी आवासों की धनराशि आबंटित कर दी जाय और द्वितीय किश्त की मॉग अक्टूबर तक भेज दें। वर्ष 2012–13 के आवासों के बारे में एम.आई.एस. फीडिंग शतप्रतिशत करना सुनिश्चित करें, जिससे दूसरी किश्त प्राप्ति में कठनाई न हो। फोटो व निरीक्षण भी अपलोड करें।
2. वर्ष 2011–12 की एम.आई.एस. फीडिंग जिन जनपदों की शेष है वे शीघ्र अपलोड करें तथा सभी जनपद 2012–13 के आवासों को भी आबंटित कर एम.आई.एस. पर 30 सितम्बर तक अपलोड करें।
3. सभी लाभार्थियों की सूची जिलेवार मा0 विधानसभा/विधान परिषद सदस्यों को अवश्य दे दी जाय।
4. जनपद आगरा में आवासों के आबंटन के सम्बंध में जो शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी जॉच कर परियोजना निदेशक आख्या 15 दिन में उपलब्ध कराएं।

5. गाजीपुर में इंदिरा आवास की एम.आई.एस. की फीडिंग शून्य हैं। मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर स्पष्टीकरण उपलब्ध करायें।
6. सिद्धार्थनगर के मुख्य विकास अधिकारी को इंदिरा आवास की मार्ग–निर्देशिका की जानकारी का अभाव है। मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर मार्ग–निर्देशिको को पढ़े और अनुपालन करें।
7. जनपद औरया द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों में भी आवासों का आबंटन कर दिया गया है। जिलाधिकारी से आख्या प्राप्त की जाय।
8. गौतमबुद्धनगर में भारत सरकार की इंदिरा आवास की मार्ग–निर्देशिका के प्राविधानों का विचलन न हो यह सुनिश्चित किया जाये।

<u>स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना–</u>

1. जिन जनपदों की प्रथम किश्त नहीं प्राप्त हुई है, वे तत्काल भारत सरकार से सम्पर्क कर जिन बिन्दुओं पर आपत्ति की गई थी उनका निराकरण कर केन्द्रांश की प्रथम किश्त अवमुक्त करायें।
2. जिन जनपदों को प्रथम किश्त प्राप्त हो चुकी है, वे 60 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर द्वितीय किश्त का प्रस्ताव प्रेषित कर दें।
3. नियमित रूप से बी.एस.बी.सी. एवं डी.एल.डी.सी. की बैठकों का अनुश्रवण करें।
4. नियमित रूप से कैम्प आयोजित किये जाय, जिसके सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

<u>सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जातीय गणना 2011–</u>

1. सभी जनपद 30 सितम्बर,2012 तक प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लें जिससे अक्टूबर माह से द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ हो जाए।
2. जनपद–हरदोई गौतमबुद्धनगर,आजमगढ़ एवं रायबरेली में ए0एच0एल0 पुस्तिका, टिफ इमेजेस एवं पी0सी0 टेबलेट की कमी से सम्बंधित समस्याओं के सम्बंध में अवगत कराया गया, सम्बंधित संस्था से अपेक्षा की गयी की इनकी समस्या का निराकरण तत्काल सुनिश्चित करे।
3. जनपद कुशीनगर द्वारा बतायी गयी समस्याओं के निराकरण हेतु आई0टी0आई0 को यह निर्देश दिये गये कि आगामी सोमवार को जनपद में भ्रमण कर समस्या का निराकरण करें।

<u>सामान्य बिन्दु–</u>

1. सभी विभागीय योजनाओं में सितम्बर,2012 तक जो प्रगति अर्जित की गयी है उसकी एम.आई.एस. फीडिंग भी 30, सितम्बर 2012 तक अवश्य कर ली जाये।
2. जिन जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी बैठक में नहीं आये हैं उन्हें अगले सप्ताह बुलाया जाये।
3. विधायक निधि में अवमुक्त धनराशि का व्यय मा0 विधायक गणों से प्रस्ताव प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाय।
4. जनपद मुजफ्फरनगर एवं ललितपुर के मुख्य विकास अधिकारियों से बिना कारण अनुपस्थति होने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। जनपद फतेहपुर के मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक को विकास कार्यकम में लापरवाही हेतु चेतावनी दी गयी।
5. आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों को भी भ्रमण पर भेजा जाय।
6. हमीरपुर के जिला विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जनपद में न ही मुख्य विकास अधिकारी तैनात है और न ही परियोजना निदेशक।
7. परियोजना निदेशक, चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जनपद में मुख्य विकास अधिकारी तैनात नहीं है।

8. परियोजना निदेशक, ललितपुर को नये वर्ष के लेबर बजट बनाने हेतु शासनादेश की जानकारी नहीं है। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी देखें।
9. परियोजना निदेशक, मिर्जापुर द्वारा अवगत कराया गया कि counter affidavits शासन के अनुभाग–2/7 में स्वीकृति हेतु लम्बित है।
10. मण्डायुक्त अलीगढ़ को मनरेगा योजना में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु अनुश्रवण करने के लिए पत्र प्रेषित किया जाय क्योंकि मंडल के अलीगढ़ जनपद में महिलाओं की सहभागिता अच्छी है जबकि अन्य जनपदों में बहुत कम।
11. अमरोहा के जिला विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जनपद में न ही मुख्य विकास अधिकारी तैनात है और न ही परियोजना निदेशक।
12. मुरादाबाद के मुख्य विकास अधिकारी को बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत की जाय।

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव

पत्रांक 2865 /38–3–2012 दिनांक 28 सितम्बर,2012

उपर्युक्त कार्यवृत्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. महानिदेशक, पं0 दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन के अवनोकनार्थ।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
6. अपर आयुक्त (मनरेगा)/कार्यक्रम/प्रशासन/लेखा, ग्राम्य विकास,उ0प्र0।
7. समस्त विशेष सचिव, ग्राम्य विकास,उ0प्र0 शासन।
8. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी,उ0प्र0।
10. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, गन्ना संस्थान लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम,उ0प्र0।
12. समस्त वरि0उपायुक्त/उपायुक्त/योजनाधिकारी,उ0प्र0।
13. सूचनाधिकारी, ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी